NDC.

# समाहरणालय, पटना।
## (शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

## –: आदेश :–

07-09-2013 आवेदक **श्री राज किशोर राज,** पिता–स्व0 अवध किशोर, सा0–अतुल्यम, शिव नगर, बेऊर जेल के पिछे, अनिसाबाद, पटना, वर्तमान पता–गोपालपुर मठ, पो0–नदौल, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–282/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–06.09.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि–07.09.2013 निर्धारित की गई।

दिनांक–07.09.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे नौकरी करते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–126/गो0, दिनांक–27.01.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। सहायक पुलिस अधीक्षक, मसौढ़ी द्वारा थानाध्यक्ष, मसौढ़ी के अग्रसारण एवं अनुशंसा एवं पुलिस निरीक्षक के अग्रसारण से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारि किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का पता मसौढ़ी थाना क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने के कारण आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र मसौढ़ी थाना से जाँच एवं सत्यापन कराने हेतु आवेदन पत्र को मूल में संलग्न कर लौटाया गया है। थानाध्यक्ष, मसौढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे नौकरी करते हैं। आवेदक के पिता स्व0 अवध किशोर राज की शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित रायफल को अपराधियों द्वारा पूर्व में लूटा गया था। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में 'नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है तथा आवेदक के पैतृक थाना मसौढ़ी से जाँच कराने की आवश्यकता प्रतिवेदित की गयी है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा को देखते हुए उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है और उन्हें इसके अतिरिक्त एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री राज किशोर राज, पिता–स्व0 अवध किशोर, सा0–अतुल्यम, शिव नगर, बेऊर जेल के पिछे, अनिसाबाद, पटना, वर्तमान पता–गोपालपुर मठ, पो0–नदौल, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर अनुज्ञप्ति आवेदन– पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।